न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:–17/2021

1. धनराज पुत्र खींयाराम जाति कुम्हार निवासी चक 12 एलएम(बी) हाल चक 8 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. गोपीराम पुत्र खेमाराम जाति बावरी निवासी चक 12 एलएम(बी) हाल चक 6 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. इन्द्राज पुत्र खेमाराम जाति बावरी निवासी चक 12 एलएम(बी) हाल चक 6 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
4. मुखराम पुत्र खेमाराम जाति बावरी निवासी 12 एलएम(बी) हाल चक 6 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
5. रामलाल पुत्र बिंजाराम जाति मेघवाल निवासी 12 एलएम(बी) हाल चक 8 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
6. मीरादेवी पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 एलएम(बी) हाल चक 8 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
7. रामप्रताप पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी चक 12 एलएम(बी) हाल चक 6 एलएम(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

—— **प्रार्थीगण**

बनाम्

1. गोमती पत्नी बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी चक 8 एलएम (ए) तहसील अनूपगढ़
2. तहसीलदार, राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट बाबत् रास्ता मंजूरी

::निर्णय:: **दिनांक:–29.07.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री साहबराम उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. के तहत रास्ता खेत स्वीकृत करने हेतु पेश कर निवेदन किया है कि चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर नं.–279/487 का किला नं.–1ता10 का 10 बीघा कृषि भूमि अनकमाण्ड प्रार्थी सं.–01 के नाम किला नं.–11ता25 की 15 बीघा कृषि भूमि अनकमाण्ड प्रार्थीगण सं.–2ता4 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिं जमाबंदी संलग्न है। वाके चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–278/487 का किला नं.–10,11, प्रत्येक में 18–18 बिस्वा किला नं.–22 सालम व किला नं.–12 में 8 बिस्वा कुल 6 बीघा कमाण्ड रकबा जरिए रजि. बैयनामा प्रार्थीगण सं.–5वा6 की खरीदशुदा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल की प्रक्रिया विचाराधीन है तथा इसी मुरब्बा की शेष 19 बीघा [illegible] कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी सं.–7 रामप्रताप के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी व चित्रप्रति बैयनामाजात संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के [illegible] अप्रार्थीगण सं.–1ता4 की कृषि भूमि वाके चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर नं.–278/486 का किला नं.–1ता25 की कुल 25 बीघा अनकमाण्ड संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें अप्रार्थीगण सं.–1ता4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी सं.–07 रामप्रताप के नाम की कृषि भूमि वाके चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.08.10 16:43:21 IST
Reason: SelfAttested

मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–278/487 का किला नं.–1,10,11,20,21 में रास्ता स्वीकृतशुदा है जो पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थीगण सं.–1ता4 की कृषि भूमि चक 12 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–279/487 का किला नं.–5,6,15,16,25 के चिपते हुए मौका पर चल रहा है जो आगे अप्रार्थीगण सं.–1ता4 की कृषि भूमि वाके चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–278/486 का किला नं.–21,20,11,10,1 में चल रहे कच्चे रास्ता से होकर आगे पक्की सड़क से जोड़ती है। इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. –1ता4 की कृषि भूमि वाके चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं. –278/486 का किला नं.–21,20,11,10,1 में चल रहे कच्चे रास्ता के जरिए अपनी कृषि भूमि में आना जाना किया करते थे तथा काफी अरसा से इसी रास्ते का ही उपयोग; उपभोग करते हुए अपनी कृषि जिन्स कृषि उपकरण व अन्य कृषि संबंधित समस्त कार्य हेतु इसी रास्ते से आवागमन करते थे। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौका पर अप्रार्थीगण सं.–1ता4 की कृषि भूमि वाके चक 8 एल एम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –25 पत्थर सं.–278/486 का किला नं.–21,20,11,10,1 में चल रहे कच्चे रास्ता को आज से 10 रोज पूर्व अप्रार्थीगण ने अपने उक्त किला नं.–1 में तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया है। जिस कारण प्रार्थीगण का अपनी कृषि भूमि में आना जाना बंद हो गया है। इस पर आज से 2 रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं.–1ता4 से मिल कर अप्रार्थीगण सं.–1ता4 की कृषि भूमि में पूर्व में चल रहे रास्ता को खोलने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से कतई इंकार कर दिया तथा कहा कि यह रास्ता स्वीकृतशुदा नही है इतने सालों से मैंने आपको आने जाने दे दिया था, अब मैं आपको इस रास्ते से आने जाने नही दूंगा। बस यही बिनाय मुखास्मत है जो प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ प्राप्त है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–01 एवं 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार ने वकालतनामा पेश किया।

प्रार्थीगण ने दिनांक–09.06.2022 को न्यायालय में जरिए वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–01 नियम 10(2) एवं धारा–151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण सं.–01ता04 की कृषि भूमि वाके चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–278/486 का किला नं.–21,20,11,10,01 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया था। प्रकरण के विचारण के दौरान अप्रार्थीगण सं.–1ता4 द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि गोमती पत्नी बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी चक 8 एल एम ए तहसील अनूपगढ़ का जरिए पंजीकृत बैयनामा बेचान कर दी तथा गोमती के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण भी दर्ज हो चुका है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सं–1ता4 के उक्त कृषि भूमि के संबंध में सम[illegible] हक वा अधिकार गोमती मे निहित हो चुके है, इसलिए उक्त प्रकरण में अप्रार्थी[illegible] सं.–[illegible] का कोई औचित्य नही रहा है। अप्रार्थीगण सं.–01ता04 के उक्त कृषि भूमि के संबंध [illegible] हक वा अधिकार गोमती मे निहित होने के कारण उक्त प्रकरण में गोमती पत्नी बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ आवश्यक व उचित पक्ष[illegible] है। गोमती को पक्षकार बनाए जाने से प्रकरण का सही व न्यायपूर्ण निस्तारण हो सकेगा। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या–01ता04 के समस्त हक वा अधिकार गोमती मे निहित होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.–01ता04 की जगह गोमती पत्नी बीरबलराम जाति कुम्हार को अप्रार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Tal
Date: 2022.08.10 16:43:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी गोमती की तरफ से अधिवक्ता श्री लखाराम उपस्थित हुए। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी गोमती ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कृषि भूमि वाके चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर नं.–278/486 का किला नं.–21,20,11,10,01 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत् अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीया गोमती देवी उक्त कृषि भूमि की खरीददार है तथा खातेदार टिन्नेट है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीया गोमतीदेवी का आपस में राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा अनुसार चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर नं.–278/486 का किला नं.–21,20,11,10,01 में 1½ - 1½ बिस्वा रास्ता पर पक्षकारों की सहमति बनी है तथा रास्ता में आने वाली भूमि की ऐवज में अप्रार्थीया गोमतीदेवी ने प्रार्थीगण से प्रतिफल प्राप्त कर लिया है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल अप्रार्थीया गोमतीदेवी को अदा कर दिया है तथा इसी अनुसार पक्षकार उक्त प्रकरण का निर्णित व डिक्री करवाना चाहते है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे। रास्ता स्वीकृत करने पर मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त राजीनामा प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी को पढकर सुनाया व समझाया गया जिन्होने सुन व समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किया तथा स्वतंत्र सहमति से राजीनामा करना व राजीनामा पर अपने–अपने अंगूठा/हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। प्रार्थीगण की पहचान श्री साहबराम एडवोकेट ने तथा अप्रार्थी की पहचान श्री लखा राम एडवोकेट ने की। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत पक्षकारान द्वारा दिनांक–29.06.2018 को प्रस्तुत किये गये राजीनामा अनुसार चक 8 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर नं. –278/486 का किला नं.–21,20,11,10,0[illegible] बिना किसी प्रतिकर/मुआवजा के स्वीकृत किया जाता है (राजीनामा [illegible] ाग रहेगा)। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेश [illegible] रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। राजीनामा नि[illegible]

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को सरे ईजलास सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.08.10 16:43:21 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़